खिलाफत : पंजाब सरकार के खिलाफ जंतर -मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते लोकराज संगठन के सदस्य। *अमर उजाला*

जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध : बचाव पक्ष

नई दिल्ली। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष ने जांच अधिकारी अनिल सोमानिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कौर के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि जांच अधिकारी ने 17 फरवरी 2002 को रिपोर्ट दर्ज करने का तर्क रखा है जबकि रिपोर्ट 21 को हुई थी। अधिवक्ता ने उस तर्क को भी गलत बताया कि 17 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 18 फरवरी को अभियुक्तों के आवास पर छापे मारे गए और वे फरार हो गए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल फरार नहीं थे बल्कि अपने काम से बाहर गए थे, 21 फरवरी को जब वापस आए तब उन्हें मामले में अपना नाम होने का पता चला।

बीएमडब्ल्यू मामला : गवाह के खिलाफ वारंट जारी

नई दिल्ली। अदालत ने बीएमडब्ल्यू कार हादसा मामले में गवाह गौरीशंकर के पेश न होने पर उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष द्वारा पेश गवाह डा. सहगल के तर्कों को गलत ठहराते हुए अभियुक्तों की चिकित्सा रिपोर्ट को उचित बताया है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार के समक्ष गौरीशंकर को पेश होना था। वह काफी समय से पेश नहीं हो रहा है। आखिर अदालत ने अब उसके खिलाफ वारंट जारी कर 15 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। अभियोजन अधिकारी ने बचाव पक्ष द्वारा बतौर गवाह पेश डा. सहगल के तर्कों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि डा. मधुलिका और अन्य डाक्टरों ने अभियुक्तों के ब्लड की जो जांच की थी वह ठीक है और गवाह जो तर्क रख रहा है उसका कोई आधार नहीं है।